225

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0) 6

रामकली पत्नी श्री रामप्रसाद सोंधिया, उम्र– 58 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम छिजबार, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता/आवेदिका

401 22.7.14

बनाम

R. 2505-III/14

1. शासन म0प्र0
2. रामबाई साकेत उम्र– 60 वर्ष
3. लौकेश प्रसाद उम्र– 35 वर्ष
4. मिथिलेश प्रसाद उम्र– 33 वर्ष
5. राम कुमार उम्र– 28 वर्ष
6. शिव कुमार उम्र– 26 वर्ष

क. 2 ता 6 के पिता स्व0 श्री रामविश्वास साकेत निवासी छिजवार, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ------------------गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

...द्वारा आज दिनांक 22/7/14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर 22.7.14 सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2504 ... द्वारा आज ... को प्राप्त

... माननीय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर रीवा के प्रकरण क. 14अ6 सा0 निगरानी 2012–13 के आदेश दिनांक 30.06.14 के विरुद्ध।

अपील अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959ई0

निगरानी के संक्षिप्त स्वरूप निम्नानुसार है:–

यह कि ग्राम छिजवार, तह0 हुजूर जिला रीवा की भूमि आवेदिका ने वर्ष 2002 में स्व0 रामविश्वास के विधिक वारिसानों अना0क0 2 ता 6 द्वारा आ0नं0 158/2 रकवा 0.809 हे0 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र 1,75,000/– रुपये में कय किया था तथा 2002 में उक्त मकान व भूमि पर घर बनाकर आबाद हैं तथा शेष भाग पर शासकीय अनुदान प्राप्त बृक्षारोपण है, ट्यूब वेल भी है। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार तह0 हुजूर द्वारा राजस्व प्र.क. 10अ6/2002 दिनांक 24.12.02 में विधिवत विवेचना कर आवेदिका के नाम नामांतरण कर दिया। नामांतरण के बाद आवेदिका पक्का मकान बनाकर आबाद है। रामकरण सोनी द्वारा झूठी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में 2013 में की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर न्यायालय तहसीलदार हुजूर द्वारा वर्ष 2002 में दिये गये

नि. अंगूठा रामकली

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2505-III/14 जिला रीवा

रामकली/शासन, रामबाई साकेत

(1)	(2)	(3)
19-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री सी0पी0 तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 14/अ–6/स्व0 निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.06.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	